रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 02, 2007/पौष 12, 1928

No. 03] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 02, 2007/PAUSA 12, 1928

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2006

फा. सं. 49-4/2006-राअशिप (मानदंड तथा मानक).— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा समय-समय पर विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक तैयार किए गए हैं और उन्हें अद्यतन बनाया गया है। सी.एड. तथा डी.एड के लिए संशोधित मानदंड और मानक भारत के असाधारण राजपत्र में 11 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशित दिनांक 30 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 49-4/2006 राअशिप (मा तथा म) द्वारा प्रख्यापित किए गए थे।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम में और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73) के खंड 32 के उपखंड 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्द्वारा शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानदंड और मानक संशोधित करती है और निम्न विनियम बनाती है, अर्थात-

1. **लघु शीर्ष और प्रवर्तन:**

(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006 कहलाएंगे।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

706

2. प्रयोज्यता

(1) ये विनियम स्थितिनुसार शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.)अथवा समतुल्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने/आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. संशोधन की सीमा

मानदंडों और मानकों के परिशिष्ट 10, 11 और 12 जिन्हें राअशिप विनियम, 2002 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिन्हें राअशिप विनियम, 2005 में बनाए रखा गया था उन्हें इस संशोधन के परिशिष्ट - 1, 2 और 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उनके एक अंग के रूप में पढ़ा जाएगा।

वी. सी. तिवारी, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2006-असा.]

टिप्पणी :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2005, 13 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 49-42/2005/राअशिप (मानक तथा मानदंड) के अधीन प्रकाशित किए गए थे। ये विनियम निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :

(i) 49-4/2006/राअशिप (मानक तथा मानदंड) दिनांक 21.7.2006

(ii) 49-4/2006/राअशिप (मानक तथा मानदंड) दिनांक 15.11.2006

(i) 49-4/2006/राअशिप (मानक तथा मानदंड) दिनांक 11.12.2006

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

परिशिष्ट-1

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सीपीएड) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सीपीएड) कार्यक्रम प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करने के लिए है।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्षों की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़ कर कम से कम 200 कार्यकारी दिवस होंगे, छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) प्रति वर्ष 50 छात्रों का एक यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (10+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं। जिन छात्रों ने राज्य स्तर के खेलकूद/खेलों में स्थान (पहला, दूसरा अथवा तीसरा) प्राप्त किया है और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/खेलों में भाग लिया है उनके मामले में उच्च माध्यमिक परीक्षा (10+2) में अकों का न्यूनतम प्रतिशत 45 होगा। **उपखंड 3.2 शैक्षणिक सत्र 2007-08 से लागू होगा।**

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार अंकों में ढील/सीटों में आरक्षण दिया जाएगा।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे। राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/दक्षता के लिए समुचित भारिता दी जाएगी

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क) (i) संख्या

50 अथवा इससे कम छात्रों (दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए अथवा इससे कम की संयुक्त क्षमता) के लिए पूर्णकालिक संकाय में निम्न शामिल होंगे:

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

708

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	1
लेक्चरर	5

4.1.1(क) (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र 50 छात्रों के गुणकों में होंगे, पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी।

4.1.1(क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों, खेलों और कौशलों के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकृति और स्तर की विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके।

4.1.1(ख) अर्हताएं

प्रिंसीपलः

किसी शारीरिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने के कम से कम पांच वर्ष के अनुभव सहित एम.पी.एड.

अध्यक्षः

किसी शारीरिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने के कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित एम.पी.एड.

लेक्चरर

(i) एम.पी.एड.

(ii) मान्यताप्राप्त प्रारंभिक क्षेत्र में स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षक अथवा किसी अन्य नाम के पद का पांच वर्ष का अनुभव।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष	-	एक (नियमित)
जिन विशेषज्ञताओं की पेशकश की जा रही है, उनके लिए कोच	-	आवश्यकता के अनुसार संख्या में (अंशकालिक)
चिकित्सा अधिकारी	-	अंशकालिक
ग्राउंडमैन/मार्कर/सहायक	-	नियमित
कला	-	अंशकालिक
कार्य अनुभव	-	अंशकालिक
संगीत	-	अंशकालिक
आईसीटी	-	अंशकालिक

(ख) अर्हताएं: संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.1.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) कार्यालय-एवं-लेखा-सहायक	-	1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक-एवं-टंकक	-	1 (नियमित)
(iii) स्टोर कीपर	-	1 (नियमित)
(iv) सहायक/परिचर	-	2 (नियमित)

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

709

IndiaCode

(ख) अर्हताएं

राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

4.2.1 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार/बोर्ड इनमें से जो भी लागू हो की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में उल्लिखित पदों को छोड़कर बाकी सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक तथा नियमित आधार पर की जाएगी।

(ग) अंशकालिक अध्यापकों तथा अन्य सहायक स्टाफ की नियुक्ति सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी के विशेष रूप से खोले गए खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह संस्थान के प्रबंधक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु संबंधित सरकार की नीति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

संस्थान में चार क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, एक बहुद्देशीय प्रयोगशाला, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। बहुद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

5.1.2 बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय मैदान, 400 मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। महानगरीय कस्बों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 2.5 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए।

टिप्पणी- ऐसे मौजूदा संस्थान जो उपखंड 5.1.2 तथा 5.1.3 में उल्लिखित सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, वे अन्य संस्थानों के साथ इन

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

710

सुविधाओं का साझा प्रयोग कर सकते हैं अथवा मौजूदा संस्थानों में स्थान की कमी होने की स्थिति में एक अलग किन्तु निकटस्थ स्थान पर ऐसी सुविधाएं जुटा सकते हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 2.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि से युक्त निर्मित क्षेत्र 12000 वर्गफुट से कम नहीं होगा। यहां तक कि महानगरीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहां कुल भूमि अपेक्षित 2.5 एकड़ से कम हो सकती है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.2.2 अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, शब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

5.2.3 प्रयोगशालाएं

5.2.3.1 शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण

प्रोजेक्शन और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा आईसीटी साक्षरता प्रदान करने के लिए अपेक्षित शैक्षिक साफ्टवेयर जिसमें निम्न शामिल होंगे-

सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, टेप रिकार्डर, टीवी सेट, एलसीडी प्रोजेक्टर, एक ऐपीडियास्कोप, निदर्शन बोर्ड (तीन) तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैमरा, एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, मूवी कैमरा । रौट (केवल प्राप्त टर्मिनल) तथा एसआईटी (उपग्रह अन्तर्संबंधन टर्मिनल) वांछनीय होंगे ।

5.2.3.2 शरीरचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला

- मानवीय कंकाल - 1
- यकृत का भार मापने वाली मशीन - 1
- एन्थ्रोपोमीटर - 1
- विकास-चार्ट तथा शारीरिक प्रणाली चार्ट - 2
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं - 2
- स्किनफोल्ड कैलिपर - 1
- रेस्पोमीटर - 2
- होमोग्लोबीनोमीटर - 1
- शरीर गठन विश्लेषक - 1
- स्वास्थ्य शैली परीक्षण यूनिट - 1

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

711

- अधोजल भार लेना, घनत्व और मोटापा - 1

वांछनीय

- कतिपय परीक्षणों और उपकरणों सहित खेलकूद-मनोविज्ञान प्रयोगशाला

5.3 खेलकूद उपकरण

5.3.1 ऐथेलेटिक

- बाधाएं - 20
- आरंभ खटका - 1
- मापक टेप (इस्पात) - 4
- ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार - 1
- स्टाप वाच - 6
- स्टार्टिंग ब्लाक - 6
- ऊंची छलांग स्टैण्ड (एक जोड़ा तथा छः क्रास बार) - एक जोड़ा
- वाल्टिंग पाइल्स (फाइबर ग्लास) - 6 2
- वाल्टिंग बक्सा
- चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए छः-छः
- तारगोला 12 (प्रत्येक गोला 4 किलोग्राम का) - 6
- स्टाप बोर्ड - 2
- सर्कल - 2
- प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड - 2
- फ्लैग पोल - 20
- जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो ऐल्यूमीनियम सहित) - 6
- टेक आफ़ बोर्ड - 2

5.3.2 खेल

- बास्केट बाल बोर्ड और रिंग - 1 (पूरा सेट), बाल-12
- वालीबाल पोस्ट - 4, बाल-12
- क्रिकेट, साफ्टबाल, थ्रो बाल के लिए उपकरण (सभी के सेट) - 2
- टेबल टेनिस - 2 दर्जन बाल तथा 6 बैट
- नेट सहित फुटबाल गोल खंभे - दो जोड़े, 12 बाल
- हैण्डबाल खंभे - दो जोड़े, 6 बाल
- बैडमिन्टन खंभे - 4
- बैडमिन्टन रैकेट - 24

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

712

IndiaCode

- नेट सहित हाकी गोल खंभे - 1 जोड़ा
- हाकी स्टिक - 3 दर्जन, बाल-एक दर्जन
- फुटबाल - 1 दर्जन

5.3.3 स्वदेशी क्रियाकलापों के लिए उपकरण

- लेजिम - 50 जोड़े
- डम्बल - 50 जोड़े
- भारतीय मुदगर - 50 जोड़े
- फ्लैग, हूप्लारिंग तथा शारीरिक क्रियाकलाप निदर्शन के लिए उपयुक्त मानदंड
- बीट बोर्ड
- मार्शल कलाओं के लिए उपकरण

5.3.4 व्यायाम उपकरण

- पैरेलल बार 1
- पैरेलल बार (लड़कियों के लिए विषम) - 1
- हारिजन्टल बार - 1

- रोमन रिंग्स - 2
- ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां - 6
- चटाइयां - एक दर्जन कायर व एक दर्जन एबड़
- सन्तुलन बीम (समायोज्य सेट) - 1
- पोमेल्ड हार्स - 1
- भारोत्तोलन सेट/पावर लिफ्टिंग सेट - 1

टिप्पणीः 5.3 के प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2007-08 से लागू होंगे।

5.4 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.5 विविध

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण

5.6 सुविधाएं

5.6.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा

5.6.2 संस्थान महिला और पुरुष अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग कामनरूम उपलब्ध कराएगा

5.6.3 संस्थान में आवश्यकतानुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा

5.6.4 स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.6.5 कैन्टीन, टेलीफोन सुविधा तथा वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.6.6 परिसर, जल और टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई तथा फर्नीचर और अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत तथा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

713

IndiaCode

परिशिष्ट-II

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) कार्यक्रम माध्यमिक/उच्च/माध्यमिक स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करने के लिए है। यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसके तीन प्रमुख घटक हैं (क) सैद्धान्तिक दिशाअनुकूलन (ख) स्कूल अनुभव (ग) व्यावहारिक कार्य।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बीपीएड कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्षों की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

दाखिले और परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 200 कार्यकारी दिवस होंगे। छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस कम से कम छः घण्टे का होगा जिसमें सभी अध्यापक प्रशिक्षकों और छात्र अध्यापकों की संस्थान में वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 50 छात्रों का एक यूनिट होगा जोकि व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए 25-25 छात्रों के दो समूहों में बंटा होगा ताकि अध्यापन और कौशल अर्जन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

3.2 पात्रता

3.2.1 (क) 50% अंकों सहित स्नातक जिसमें शारीरिक शिक्षा एक प्रमुख विषय रहा हो।

अथवा

(ख) शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों सहित स्नातक (अर्थात तीन वर्ष की अवधि का बीपीई)।

अथवा

(ग) 50% अंकों सहित स्नातक और जिसने खेलों/खेलकूद/एथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

(घ) 50% अंकों सहित स्नातक और जिसने अंतरकालेज खेलकूदों/खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो अथवा साहसपूर्ण खेलकूदों में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

(ड.) 50% अंकों सहित स्नातक और एनसीसी में 'सी' प्रमाणपत्रधारक।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

714

3.2.2 उपर्युक्त (क) से (ड.) श्रेणियों में आने वाले जिन अभ्यर्थियों ने राज्य स्तरीय खेलकूदों/खेलों में स्थान (पहला, दूसरा अथवा तीसरा)प्राप्त किया है और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों/खेलों में भाग लिया है उनके मामले में स्नातक स्तर पर अंकों का न्यूनतम प्रतिशत कम से कम 45 होगा। **उपखंड 3.2.1 शैक्षणिक सत्र 2007-08 से लागू होगा।**

3.2.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार अंकों में ढील/सीटों में आरक्षण दिया जाएगा।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे। राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/दक्षता के लिए समुचित भारिता दी जाएगी।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1 (क) (i) संख्या

शैक्षणिक सत्र 2007-08 से दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों के लिए:

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	1
लेक्चरर	5

4.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त 50 या उससे कम छात्रों के मामले में पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी।

4.1 (क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षण के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.1 (ख) अर्हताएं

प्रिंसीपल:

(i) पीएच.डी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य

(ii) एम.पी.एड.

(iii) शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा के किसी संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

अध्यक्ष:

(i) पीएच.डी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य

(ii) एम.पी.एड.

(iii) शिक्षण का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा के किसी संस्थान में पढ़ाने का 3 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

715

IndiaCode

लेक्चरर

(i) कम से कम 55s अंकों सहित एम.पी.एड.

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य श्रेणियों के लिए केंद्रीय/संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार मास्टर स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट की व्यवस्था होगी।

(iii) लेक्चरर के पद के लिए ऊपर निर्धारित अर्हता के अलावा अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के शुरू होने से पहले नेट/एसएलईटी अर्हता अथवा यूजीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई वैकल्पिक अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(iv) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में 65 वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(v) **पहले से कार्यरत मौजूदा संकाय को उपर्युक्त 4.1 (ख) में निर्धारित अतिरिक्त/नई अर्हता प्राप्त करने से छूट रहेगी।**

4.1 (ग) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

जिन विशेषज्ञताओं की पेशकश की जा रही है, उनके लिए कोच	-	आवश्यकता के अनुसार संख्या में (अंशकालिक)
पुस्तकालयाध्यक्ष	-	एक (नियमित)
चिकित्सा अधिकारी	-	अंशकालिक
ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक	-	नियमित
कला	-	अंशकालिक
कार्य अनुभव	-	अंशकालिक
संगीत	-	अंशकालिक
आईसीटी	-	अंशकालिक

(क) **अर्हताएं:** संबंधन प्रदान करने वाले संबंधित विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित।

4.1(घ) प्रशासनिक स्टाफ

		संख्या
(i) कार्यालय एवं लेखा सहायक	-	1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक एवं टंकक	-	1 (नियमित)
(iii) स्टोर कीपर	-	1 (नियमित)
(iv) सहायक/परिचर	-	2 (नियमित)

4.1(ड.) अर्हताएं

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

716

संबंधित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित।

4.4 सेवा की शर्तें और प्रलंभ

(क) नियुक्ति, यदि केन्द्र/राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो, की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक शिक्षकों के अतिरिक्त पदों को छोड़कर बाकी सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक तथा नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अध्यापकों तथा अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को देय चैक के द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी के विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह संस्थान के प्रबंधक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अनिवार्यिकी की आयु, संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान में दो कक्षाकक्षों, एक बहुद्देशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिंसीपल तथा अन्य सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। बहुद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

5.1.2 बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय खेल का मैदान, 400 मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। शहरीकरण कस्बों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

5.1.3 [illegible] उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक [illegible] संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के [illegible] से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 5 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

5.1.5 संस्थान [illegible] भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए। दिव्यांग [illegible] मौजूदा संस्थान जो उपखंड 5.1.2 तथा 5.1.3 में उल्लिखित सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, वे अन्य संस्थानों के साथ

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

717

इन सुविधाओं का साझा प्रयोग कर सकते हैं अथवा मौजूदा संस्थानों में स्थान की कमी होने की स्थिति में एक अलग किन्तु निकटस्थ स्थान पर ऐसी सुविधाएं जुटा सकते हैं।

5.2 विशेषताएं :

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिसमें कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। पदाधिकारी आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 12000 वर्गमीटर होना चाहिए। पहाड़ीय और पर्वतीय क्षेत्रों में ये सुविधाएं नीची जानी चाहिए जहां कि कुल भूमि अधिकतम 5 एकड़ से कम हो सकती है।

5.2.2 [illegible] के पास स्वयं अध्ययन के लिए पर्याप्त कक्षों और अध्यापन शिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिखित पर्याप्त पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय में कम से कम 10000 पुस्तकों की सुविधा होनी चाहिए। इस तरह के पुस्तकों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। बेहतर होगा यदि संस्थान के अपने [illegible] एक सूची कूल हो।

5.2.3 अध्ययन के विशेषीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, पत्रिका विश्वकोषों, शब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और संबद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय का स्थान होना चाहिए। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए कोलिकोपी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होनी।

5.2.4 संस्थान के पास इन्डोर खेलकूदों, आउटडोर खेलकूदों तथा शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शरीर रचनाविज्ञान और शरीर क्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स तथा खेलों के लिए खेलकूद और क्षेत्रीय उपकरण तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और नीचे अनुशंसित उपकरण तथा सुविधाएं होनी चाहिए।

5.2.4.1 प्रयोगशालाएं

खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला उपकरण : नैदानिक मेज, इन्फ्रा-रेड लेम्प, स्टर्लाइजिंग यूनिट, प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, बी.पी. उपकरण, स्टेथसकोप, कोणमापी स्टाप वाच, मुखीय थर्मामीटर, आइस बाक्स, वाइब्रेटर-2, एक्सरसाइजर (साइकिल), अल्ट्रासाउण्ड उपचार एकक, शार्टवेव उपचार एकक, व्हीलचेयर, बैसाखियों का एक जोड़ा, वजन मापने की मशीन, स्किनफोल्ड कैलीपर, इलेक्ट्रोनिक बाइसिकिल अर्गोमीटर (अपटेक क्षमता मापने के लिए), एक आपरेशन टेबल।

5.2.4.2 शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण

प्रोजेक्शन और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा निम्न सहित संबंधित सॉफ्टवेयर : सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, स्लाइड प्रोजेक्शन, टेप

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

718

IndiaCode

रिकार्डर, टी.वी. सेट, ओवरहैड प्रोजेक्टर, एक ऐपीडियास्कोप, निदर्शन बोर्ड (तीन) तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैमरा, एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, मूवी कैमरा । रोट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्संबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे ।

5.2.4.3 शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला

अनिवार्यः

- मानवीय कंकाल
- यकृत का भार मापने वाली मशीन
- एन्थ्रोपोमीटर
- शारीरिक प्रणाली चार्ट और विकास चार्ट
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं
- स्किनफोल्ड कैलिपर

वांछनीयः

- शरीर गठन विश्लेषक
- स्वास्थ्य शैली परीक्षण यूनिट
- अधोजल भार लेना, घनत्व और मोटापा

5.2.4.4 खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

- मनोवैज्ञानिक परीक्षण और परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण

5.2.5 खेलकूद और मैदान के उपकरण

5.2.5.1 एथेलेटिक

➢ बाधाएं	- 20
➢ आरंभ खटका	- 1
➢ मापक टेप (इस्पात)	- 4
➢ ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार	- 1
➢ स्टाप वाच	- 6
➢ स्टार्टिंग ब्लाक	- 6
➢ ऊंची छलांग स्टैण्ड (एक जोड़ा तथा छः क्रास बार)	-
➢ वाल्टिंग बक्सा	- 1
➢ चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए	दोनों के छः-छः
➢ शाटपुट	- 6
➢ तारगोला (पुरुषों और महिलाओं के लिए)	- 6
➢ स्टाप बोर्ड	- 2
➢ सर्कल	- 2
➢ प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड	- 2
➢ फ्लैग पोल	- 6
➢ जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए	- 6

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

719

IndiaCode

(दो ऐल्यूमीनियम सहित)

- टेक आफ बोर्ड - 2
- गद्दे - 6
- भार प्रशिक्षण सेट - 1

5.2.5.2 खेल

- बास्केट बाल बोर्ड और रिंग (पूरा सेट) - 20 बाल
- वालीबाल पोस्ट - 2 सेट, 20 बाल
- क्रिकेट, साफ्टबाल के लिए उपकरण - 6 बाल प्रत्येक
- टेबल टेनिस टेबल - 2 सेट
- नेट सहित फुटबाल गोल खंभों के दो जोड़े - 20 बाल
- हैण्डबाल खंभों के दो जोड़े
- बैडमिन्टन खंभे - 4
- दो दर्जन हाकी स्टिक और तीन दर्जन बाल
- बैडमिन्टन रैकेट दो दर्जन
- शटल - जरूरत के अनुसार

5.2.5.3 स्वदेशी क्रियाकलापों के लिए उपकरण

- लेजिम - 50 जोड़े
- डम्बल - 50 जोड़े
- भारतीय मुदगर - 50 जोड़े
- फ्लैग, हूप्लारिंग तथा शारीरिक क्रियाकलाप निदर्शन के लिए हल्के उपकरण
- निदर्शन/प्रदर्शन
- बीट बोर्ड
- मार्शल कलाओं के लिए उपकरण

5.2.5.4 व्यायाम उपकरण

- एक पैरेलल बार
- एक पैरेलल बार (लड़कियों के लिए विषम)
- एक हारिजन्टल बार
- दो रोमन रिंग्स
- छः ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां
- एक दर्जन चटाइयां - कायर
- एक सन्तुलन बीम (समायोज्य सेट)
- एक पोमेल्ड हार्स
- मल्टीजिम

proof

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

720

IndiaCode

[illegible] 5.2.5 के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2007-08 से लागू होंगे।

5.2.6 [illegible]

[illegible] समुचित और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.2.7 [illegible]

[illegible] खेलों, रिले और लड़ाकू [illegible] के लिए अन्य उपकरण।

5.3 [illegible]

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और [illegible] फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें ये शामिल होंगे: [illegible] के लिए डेस्क और कुर्सियां तथा मेजें, हाल, स्टाफ [illegible], प्रयोगशालाएं, बुकशेल्फ, फाइलिंग कैबिनेट, प्रयोगशालों के लिए [illegible] वाटर वाशबेसिन मेजें, ब्लैक बोर्ड, नोटिस बोर्ड, बुलेटिन [illegible] की अलमारी, कैबिनेट स्टोरेज रैक आदि।

5.3.2 [illegible] स्टाफ तथा छात्रों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम [illegible]।

5.3.3 [illegible] में शुद्धित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.4 स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.5 [illegible] फर्नीचर सुविधा, वाद्य यंत्र रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.3.6 [illegible] और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर [illegible] किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और सफाई की जाएगी।

सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हों तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला पुस्तकों तथा [illegible] शैक्षणिक सुविधा [illegible] और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का [illegible] किया जाएगा।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

परिशिष्ट - III

शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एमपीएड) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

(क) शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एमपीएड) कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का और साथ ही शारीरिक शिक्षा कालेजों और विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभागों में अध्यापक प्रशिक्षकों का एक व्यावसायिक संवर्ग तैयार करने के लिए है।

(ख) केवल ऐसे विश्वविद्यालय विभाग और संस्थान एम.पी.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश करने के पात्र हैं जोकि बी.पी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

एम.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि छोड़कर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण, क्षेत्रीय कार्य तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम से कम 200 कार्यकारी दिवस होंगे, छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्यकारी दिवस छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

प्रत्येक वर्ष दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 30 (दो वर्ष में 60) से अधिक नहीं होगी।

3.2 पात्रता

बी.पी.एड. डिग्री स्तर पर कम से कम 55ऽ अक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं। तथापि जिन अभ्यर्थियों ने राज्य स्तरीय खेलकूद/खेलों में स्थान (पहला, दूसरा अथवा तीसरा) प्राप्त किया हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/खेलों में भाग लिया है, उनके मामले में अंकों में 5ऽ की ढील दी जाएग। **उपखंड 3.2 शैक्षणिक सत्र 2007-08 से लागू होगा।**

3.2.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अंकों में ढील/सीटों में आरक्षण दिया जाएगा।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

722

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 संख्या

दाखिल किए जानेवाले 30 या इससे कम छात्रों के लिए, दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 60 या इससे कम की संयुक्त क्षमता के लिए

प्रोफेसर/अथवा रीडर - 1

रीडर/लेक्चरर - 4

4.1.2 दाखिल किए जाने वाले 10 अतिरिक्त छात्रों के लिए एक अतिरिक्त लेक्चरर की नियुक्ति की जाएगी।

अर्हताएं

(क) प्रोफेसरः

(i) पीएच.डी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य

(ii) एम.पी.एड.

(iii) शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा के किसी संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

(ख) रीडरः

(i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य

(ii) कम से कम 55ऽ अंकों सहित एम.पी.एड.

(iii) बी.पी.एड./एम.पी.एड. कार्यक्रम में शिक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(ग) लेक्चरर

(i) कम से कम 55ऽ अंकों सहित एम.पी.एड.

(ii) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. अथवा शारीरिक शिक्षा में नेट

टिप्पणीः

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य श्रेणियों के लिए केंद्रीय/संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार मास्टर स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट की व्यवस्था होगी।

(ii) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/रीडर की नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/रीडर की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में 65 वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

बी.पी.एड. के लिए जरूरी स्टाफ के अलावा निम्न स्टाफ की जरूरत होगीः

संख्या

(i)तकनीकी सहायक - दो (नियमित)

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

723

(ii)सहायक - एक (नियमित)

अर्हताएः

संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

4.2 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति, केंद्रीय/संबंधित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय इनमें से जो भी लागू हो, की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में उल्लिखित पदों को छोड़कर बाकी सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक तथा नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को देय चैक के द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी के विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह संस्थान के प्रबंधक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु, संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 30-30 छात्रों के बैठने की सुविधा सहित दो क्लासरूम, 100 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा सहित एक बहुद्देशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए स्वतंत्र कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्गफुट स्थान होगा।

5.1.2 इन्डोर खेलकूदों के लिए एक बहुद्देशीय हाल/व्यायामशाला तथा आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं होंगी।

5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 2.5 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

724

टिप्पणी- ऐसे मौजूदा संस्थान जो उपखंड 5.1.3 में उल्लिखित सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, वे अन्य संस्थानों के साथ इन सुविधाओं का साझा प्रयोग कर सकते हैं अथवा मौजूदा संस्थानों में स्थान की कमी होने की स्थिति में एक अलग किन्तु निकटस्थ स्थान पर ऐसी सुविधाएं जुटा सकते हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 2.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 12000 वर्गफुट होगा। यह स्थिति महानगरीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए जहां कि कुल भूमि अपेक्षित 2.5 एकड़ से कम हो सकती है।

5.2.2 प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षणात्मक स्थान का आकार 10 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए।

5.2.3 एक वाचनालय की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें सभी विशेषज्ञता और पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकें और सन्दर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन (सीडी रोम) सहित और कम-से-कम पांच पत्रिकाएं तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष कम-से-कम 100 उत्कृष्ट पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्र-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.2.4 विभिन्न इन्डोर तथा आउटडोर खेलकूदों और खलों के लिए समुचित उपकरण होने चाहिए।

5.2.5 दाखिल किए जाने वाले अनुमोदित 60 छात्रों (दो वर्ष) के लिए शिक्षणात्मक क्रियाकलाप करने के वास्ते प्रयोगशालाएं होनी चाहिए।

5.2.5.1 निम्न उपकरणों सहित स्वास्थ्य शिक्षा, भौतिक चिकित्सा और खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला होनी चाहिए:

(i) वजन तोलने की एक मानक मशीन
(ii) एक एन्थ्रोपोमीटर/लम्बाई स्टैंड
(iii) वांछनीय भार और लम्बाई तालिकाएं
(iv) इन्फ्रारेड लैम्प
(v) पराबैंगनी लैम्प
(vi) शार्ट वेव डायाथर्मी
(vii) मोटराइज्ड ट्रेड मिल
(viii) बाइसिकिल अर्गोमीटर
(ix) बी.पी. उपकरण
(x) हार्वर्ड स्टेप परीक्षण उपकरण

5.2.5.2 शैक्षिक और खेलकूद मनोविज्ञान से संबंधित सामान्य प्रयोग करने के लिए उपकरणों से युक्त एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

725

5.2.5.3 निम्न उपकरणों सहित एक शरीररचनाविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान प्रयोगशाला होगी:

(i) मानवीय कंकाल
(ii) मेट्रोनोम्स - 1
(iii) विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के माडल और चार्ट
(iv) स्टाप वाच - 5
(v) स्पाइरोमीटर - 2
(vi) इलेक्ट्रोनिक बैरोमीटर
(vii) वजन मापने की मशीनें - 2
(viii) शीर्ष प्रवाह मीटर - 1
(ix) कोण मापक - 1
(x) डायनिमोमीटर (हाथ, पैर कमर) - प्रत्येक के लिए एक-एक

5.2.5.4 प्रोजेक्शन तथा अनुलिपिकरण के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला तथा टीवी, कैमरा । रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल), सिट (उपग्रह अन्तर्संबंध टर्मिनल) सहित आईसीटी प्रयोगशाला के लिए जरूरी शैक्षिक सौफ्टवेयर वांछनीय होंगे ।

टिप्पणी: **5.2 के प्रावधान शैक्षणिक सत्र 2007-08 से लागू होंगे।**

6.3 **साधन**

6.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

6.3.2 संस्थान महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए कामन रूम उपलब्ध कराएगा।

6.3.3 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

6.3.4 स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में पुरुषों और महिलाओं के टायलेट अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.3.5 कैन्टीन, टेलीफोन सुविधा तथा वाहनों को खड़े करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

6.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

7.0 **सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

726

~~New Delhi~~

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2006

F. No. 49-4/2006-NCTE (N & S).— Norms and Standards for various teacher education programmes have been prescribed and updated by the National Council for Teacher Education (NCTE) from time to time. The revised norms & standards for C.Ed and D.Ed were promulgated vide notification No. F.49-4/2006-NCTE (N&S) dated 30th, November 2006 published in the Gazette of India Extra-Ordinary on 11th December, 2006.

2. In continuation of the above notification and in exercise of the powers conferred under sub-section 2 of Section 32 of the NCTE Act, 1993 (73 of 1993), the NCTE hereby revise the Norms and Standards for teacher education courses leading to Certificate in Physical Education(C.P.Ed), Bachelor of Physical Education(B.P.Ed) and Master of Physical Education(M.P.Ed) and makes the following regulations, namely:

indiacode

1. Short Title and Commencement:

(1) These regulations may be called the "National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) (Fourth Amendment) Regulations, 2006."

2. Applicability

(1) These regulations shall be applicable to all matters pertaining to grant of recognition/permission to conduct a teacher education programme leading to Certificate in Physical Education(C.P.Ed), Bachelor of Physical Education(B.P.Ed) and Master of Physical Education(M.P.Ed) , as the case may be, or equivalent.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Extent of Amendment**

(i) The Appendix – 10, 11 & 12 of the norms and standards which were notified by NCTE Regulations, 2002 and retained in the NCTE Regulations, 2005 shall be replaced by the Appendix – 1, 2 and 3 to this amendment and be read as part thereof.

V. C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT III/IV/131/2006/Exty.]

Note.— The National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2005 were published vide Notification No.49- 42 /2005 /NCTE (N&S) dated 13th January, 2006. These Regulations have subsequently been amended by the following Notifications:

i) No.49-4/2006/NCTE(N&S) dated 21.7.06
ii) No.49-4/2006/NCTE(N&S) dated 15.11.2006 and
iii) No.49-4/2006/NCTE(N&S) dated 11.12.2006

सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

728

Appendix-1

Norms and Standards for Certificate in Physical Education Programme (C.P.Ed.)

1.0 Preamble

The Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) programme is meant for preparing teachers in *Physical Education* for elementary schools (Primary and Upper Primary/Middle).

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The Certificate in Physical Education programme shall be of a duration of two academic years.

2.2 Working Days

There shall be at least 200 working days exclusive of period of admission and examination and each working day being of 6 hours in a 6-day week

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

(a) There shall be a unit of 50 students, for each year.

3.2 Eligibility

(a) Candidates with at least 50% marks in the senior secondary examination (+2) or its equivalent, are eligible for admission. For those who are position holders (1st, 2nd or 3rd) in State Level sports/games and those who have participated in the National level sports/games, the minimum percentage of marks in the Senior Secondary examination (+2) shall be at least 45%. **The sub-clause 3.2 will take effect from the academic session 2007-08.**

(b) There shall be relaxation of marks/reservation of seats for SC/ST/OBC and other categories as per the Rules of the Central Government/ State Government/ UT Administration concerned.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

729

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government. Due weightage for physical fitness/proficiency will be given as per the policy of the State Government.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.1 (a)(i) Number

For a unit of 50 students or less (with combined strength of 100 or less for the 2 year course), the full time teaching faculty should comprise:

Principal/Head	-	1
Lecturers	-	5

4.1.1.(a)(ii) Additional intake which will be in the multiple of 50 students, the number of full time teacher educators shall be increased by three.

4.1.1.(a)(iii) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching various courses, games and skills related to physical education.

4.1.1(b) Qualifications:

Principal: -

M.P.Ed. with at least 5 years experience of teaching in a physical education institution.

Head:-

M.P.Ed with at least 3 years experience of teaching in a physical education institution.

Lecturer :-

(i) M.P.Ed.

(ii) 5 years' experience as Physical Instructor or any other nomenclature at school level in recognized elementary school.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

730

4.1.2 **Technical Support Staff**

(a) **Number**

Librarian	-	one (Regular)
Coaches for specializations offered	-	Number as needed (Part time)
Medical Officer	-	Part time
Ground men/markers/Helpers	-	Regular
Art	-	Part time
Work experience	-	Part time
Music	-	Part time
ICT	-	Part time

(b) **Qualifications** - as prescribed by concerned State Government / UT Administration.

4.1.3 **Administrative staff**

(a) **Number**

(i) Office-cum-Accounts Assistant	-	1 (Regular)
(ii) Office Assistant-cum Typist	-	1 (Regular)
(iii) Store-keeper	-	1(Regular)
(iv) Helpers/attendants	-	2 (Regular)

(b) **Qualifications**

As prescribed by State Government/UT.

4.2.1 **Terms and conditions of service**

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/ Board, whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time teachers and other supporting staff can be made as per norms of the Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per Advice into the bank account of employee specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 There shall be provision for four classrooms, one multi-purpose hall, one multi-purpose laboratory, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like classrooms, laboratory, library etc. space shall not be less than 10 sq.ft. per student. Multi-Purpose Hall shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.2. There shall be a multi-purpose field for outdoor sports, a 400 mt. track and a hall for gymnastic and indoor games and sports. In metropolitan towns/hilly regions, where availability of open space is constrained, it can be shared with other institution.

5.1.3 To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession a minimum of 2.5 acre of land/land and building free from all encumrbances either on ownership basis or on lease for as per the relevant regulations.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institutional campus, buildings, furniture etc. should be disabled-friendly.

Note: The existing Institutions that may not be able to provide facilities fully as per sub-clause 5.1.2 and 5.1.3 may share these facilities with other Institutions or create such facilities at a different but nearby place if there is a paucity of space in the existing Institutions.

5.2. Instructional

5.2.1 The institution must have at least 2.5 acres of land which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games & sports. Built in area consisting of classrooms etc. shall not be less than 12000 sq. ft. This must be ensured even in metropolitan and Hilly Regions where the total land may be less than the required 2.5 acres.

5.2.2 There shall be a library equipped with minimum 2000 titles and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms) and at least five journals on physical education and related subjects. The Library shall

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

732

have photocopying facility and Computer with Internet facility for the use of faculty and students teachers.

5.2.3 Laboratories

5.2.3.1 Education Technology lab equipment

Hardware for projection and duplication and educational Software required for imparting ICT literacy including the following:

Public address system, Tape recorder, T.V. set, LCD projector, one Epidiascope, Display Boards (three) and Video cassette recorder, Video cameras, one Cinematic projector, Movie Camera. ROT(Received only Terminal) and SIT(Satellite Interlinking Terminal) are desirable.

5.2.3.2 Anatomy, Physiology and Health Education Laboratory

- Human Skeleton - 1
- A liver weighing machine - 1
- An anthropometer - 1
- Growth charts and body system charts - 2
- Desirable weight and height tables - 2
- Skinfold calipers - 1
- Respometer - 2
- Haemoglobino meter - 1
- Body composition analyzer - 1
- Health style testing unit - 1
- Underwater weighing, density and obesity - 1

Desirable

- Sports-Psychology lab with some tests and apparatus

5.3 Sports *equipments*

5.3.1 Athletic

- Hurdles - 20
- Starting clapper - 1
- Measuring tapes (steel) - 4
- Wire for marking the track - 1
- Stop watches - 6
- Starting block - 6

pthelist

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

733

IndiaCode

- High jump stands (one pair & six cross bars) - 1 pair
- Vaulting piles (fibre glass) - 6+2
- Vaulting box
- Discus-Men & Women - 6 each
- Hammers 12(4 Kg. each) - 6
- Stop boards - 2
- Circles - 2
- Stands for judges at finish - 2
- Flag pole - 20
- Javelin Men & Women (including two aluminum) - 6
- Take off board - 2

5.3.2 Games

- The basketball boards and rings - 1(full set), *balls-12*
- Volleyball posts - 4, *balls-12*
- Equipment for cricket, soft ball, throw ball (Sets each)- 2
- Table tennis - 2,*Dozen balls & 6-bats*
- Football goal posts with nets - 2 pairs, *12 balls*
- Hand ball posts - 2 pairs, *balls-6*
- Badminton posts - 4
- Badminton Rackets -24
- Hockey goal posts with nets - 1pair
- Hockey sticks - 3 dozen , *ball-1dozen*
- *Football* - *1dozen*

5.3.3 Equipment for indigenous activities

- Lezium - 50 pairs
- Dumbles – 50 pairs
- Indian clubs - 50 pairs
- Flags, hoopla rings, and light apparatus for physical activities demonstration
- Beat board
- Equipment for marshal arts

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

5.3.4 *Gymnastic Equipments*

➢	Parallel bars	-	1
➢	Parallel bar(uneven for girls)	-	1
➢	Horizontal bar	-	1
➢	Roman rings	-	2
➢	Climbing ropes	-	6
➢	Mats	-	1 doz. Coir+1 doz. rubber
➢	Balance beams (adjustable sets)	-	1
➢	Pommelled horse	-	1
➢	Weightlifting set/power lifting set	-	1

Note: The provisions of 5.3 will come into effect from the academic session 2007-08.

5.4 Cultural Activities

Suitable and adequate instruments, as and when needed for various activities shall be provided

5.5 Miscellaneous

Other equipment required for major games, minor games, recreational games, relays and combatives.

5.6 Amenities

5.6.1 Functional and appropriate furniture for the purpose in required number shall be provided for instructional and other purposes.

5.6.2 The institution shall provide *separate* common rooms for *male and* female teacher educators/student-teachers.

5.6.3 Safe drinking water be provided in the institution, as needed.

5.6.4 Sufficient number of toilets shall be made available for staff and students.

5.6.5 Arrangement shall be made for a canteen, telephone facility and parking of vehicle.

5.6.6 Effective arrangements shall be made for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities and necessary repairs and replenishment of furniture and other equipments.

General

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

Appendix-2

Norms and Standards for Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) Programme

1.0 Preamble

The Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) programme is meant for preparing teachers in Physical Education for Secondary/Senior Secondary Schools. It is a professional course having three major components (a) theoretical orientation (b) school experience (c) practical work.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The B.P.Ed. programme shall be of a duration of one academic year.

2.2 Working Days

There shall be at least 200 working days exclusive of period of examination and admission etc. A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six-day week, during which physical presence in the institution of all teacher educators and student teachers is essential.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

3.1.1. There shall be a unit of *50* students, divided into two batch of *25 for practical activities to facilitate teaching and skill learning.*

3.2 Eligibility

3.2.1 (a) Graduate with physical education as a major subject with 50% marks

OR

(b) Graduate in Physical Education (i.e., B.P.E. of three year duration) with 50% marks

OR

(c) Graduate with at least 50% marks, having represented State/University in sports/games/athletics.

OR

(d) Graduate with at least 50% marks, who represented in inter-collegiate sports/games tournaments or passed basic course in adventure sports.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

736

OR

(e) Graduate with 50% marks with 'C' certificate in NCC.

3.2.2 For those in category (a) to (e) above who are position holders (1st ,2nd or 3rd) in State Level sports/games and those who have participated in the National level sports/games, the minimum percentage of marks in the Graduation shall be at least 45%.

The sub-clause 3.2.1 will take effect from the academic session 2007-08.

3.2.3. There shall be relaxation of marks/reservation of seats for SC/ST/OBC as per the Rules of the Central Government/State Government/UT Administration concerned.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the University/State Government with due weightage for physical fitness/proficiency, as per the policy of the State Government.

4. Staff

4.1 Academic

4.1.a.(i) **Number**

For an intake of 50 students from the academic session 2007-08 onwards.

Principal/Head	-	1
Lecturers	-	5

4.1.a.(ii) For an intake of additional number of 50 students or part there of, the number of full time teacher educators shall be increased by three.

4.1.a.(iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching various courses related to physical education.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

737

4.1.b Qualifications

Principal -

(i) PhD (Physical Education) or equivalent published work
(ii) M.P.Ed.
(iii) 10 years' experience of teaching including five years' teaching in an institution of physical education.

Head:-

(i) PhD (Physical Education) or equivalent published work
(ii) M.P.Ed.
(iii) 7 years' experience of teaching including three years' teaching in an institution of physical education.

Lecturer :-

(i) MP.Ed with minimum 55% marks .

Note:-

(i) There shall be relaxation of five percentage of marks at the Masters level for SC/ST/OBC/Other categories, as per the rules of the Central Government/ concerned State Government/UT Administration.

(ii) Apart from the qualification prescribed above for lecturer, the candidates shall have to qualify NET/SLET qualifications or alternative qualifications thereto as prescribed by UGC from time to time before the commencement of the academic session 2009-2010.

(iii) In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Principal/Head in physical Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of post-retirement contract service.

(iv) The existing faculty already working is exempted from acquiring additional/new qualifications prescribed in 4.1.b above.

4.1.c Technical Support Staff

Coaches for specializations offered	-	Number as needed (Part time)
Librarian	-	one (Regular)
Medical Officer	-	Part time
Ground men/markers/Helpers	-	one (Regular)

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

738

IndiaCode

Art	-	Part time
Work experience	-	Part time
Music	-	Part time
ICT	-	Part time

4.1.d Qualifications

As prescribed by concerned affiliating University/UGC.

4.1.e Administrative staff

	Number
(i) Office-cum-Accounts Assistant -	1 (Regular)
(ii) Office Assistant-cum Typist -	1 (Regular)
(iii) Store-keeper -	1(Regular)
(iv) Helpers/attendants -	2 (Regular)

4.1.f Qualifications

As prescribed by concerned State Govt./affiliating University.

IndiaCode

4.4 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committees constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Affiliating University/Board whichever is applicable.

(b) All appointments shall be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time teachers and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government/University/UGC.

(d) The academic and other staff of the institutions including part-time staff shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/University from time to time by account payee cheque or as per Advice into the Bank account of employee, especially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government/University.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

739

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 There shall be provision for two classrooms, one multi-purpose hall, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Principal and faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratories, libraries etc. spaces shall not be less than 10 sq.ft. per student. Multi-purpose Hall, shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.2 There shall be a multi-purpose play field for outdoor sports, a 400 mt. track, gymnasium and a hall for indoor games and sports. In metropolitan towns/hilly regions, where availability of open space is constrained, it can be shared with other institution.

5.1.3 To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession a minimum of 5 acres of land/land and building free from all encumbrances as per the relevant Regulations.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institutional campus building, furniture etc. should be disabled friendly.

Note: The existing Institutions that may not be able to provide facilities fully as per sub-clause 5.1.2 and 5.1.3 may share these facilities with other Institutions or create such facilities at a different but nearby place if there is a paucity of space in the existing Institutions.

5.2. Instructional

5.2.1 The institution must have at least 5 acres of land which shall provide enough space for institutional building and open space for organizing games & sports keeping in view future expansion. Built in area consisting of class rooms etc. shall not be less than 12000 sq. ft. This must be ensured even in metropolitan and Hilly Regions where the total land may be less than the required 5 acres.

5.2.2 The institution shall have easy access to sufficient number (5-10) recognized secondary schools within reasonable distance for field work and practice teaching related activities of the student teachers. A list of such schools should be prepared. It is desirable that the institution has an attached school under its control.

5.2.3 There shall be a library-cum-reading room, equipped with minimum 2000 titles and reference books related to the prescribed course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms)

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

740

and minimum five journals on physical education and related subjects. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student - teachers.

5.2.4 The institution shall have equipments & facilities for Indoor sports, outdoor sports and physical activities, sports medicine laboratory, Educational Technology laboratory, Health Education laboratory, Sports Psychology laboratory, Anatomy and Physiology and Health Education laboratory, Athletics, Sports and field equipment for athletics and games as prescribed by concerned University and suggested below.

5.2.4.1 Laboratories

Sports Medicine Lab equipment:- Diagnostic table, Infra-red lamp, Sterilising unit, First Aid box, B.P. apparatus, Stethoscope, Goniometer, Stopwatch, Oral thermometer, Icebox, Vibrators-2, Exerciser(bicycle), Ultrasound therapy unit, Shortwave therapy unit, Wheel chair, a pair of Crutches, Weighing machine, Skinfold Caliper, Electronic bicycle ergometer (for measuring uptake capacity), an Operation table.

5.2.4.2 Education Technology lab equipment

Hardware for projection and duplication and educational Software including the following:

Public address system, Slide projection, Tape recorder, T.V. set, Overhead projector, one Epidiascope, Display Boards (three) and Video cassette recorder, Vide cameras, one Cinematic projector, Movie Camera. ROT(Received only Terminal) and SIT(Satellite Interlinking Terminal) are desirable.

5.2.4.3 *Anatomy , Physiology and Health Education Laboratory*

Essential:-

- Human Skeleton
- A lever weighing machine
- An anthropometer
- Body System Charts and Growth charts
- Desirable weight and height tables
- Skinfold calipers

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

741

Desirable:-

- Body composition analyzer
- Health style testing unit
- Underwater weighing, density and obesity

5.2.4.4 *Sports psychology laboratory*

- Psychological Tests and instruments used for testing

5.2.5 **Sports and field equipment**

5.2.5.1 Athletic

➢	Hurdles	-	20
➢	Starting clapper	-	1
➢	Measuring tapes(steel)	-	4
➢	Wire for marking the track	-	1
➢	Stop watches	-	6
➢	Starting block	-	6
➢	High jump stands (one pair & six cross bars)	-	
➢	Vaulting box	-	1
➢	Discus-Men & Women	-	6 each
➢	Shotput	-	6
➢	Hammers(for men & women)	-	6
➢	Stop boards	-	2
➢	Circles	-	2
➢	Stands, for judges at finish	-	2
➢	Flag pole	-	6
➢	Javelin - Men & Women(including two aluminium)	-	6
➢	Take off board	-	2
➢	Mattress	-	6
➢	Weight Training Set	-	1

5.2.5.2 Games

➢	The basketball boards and rings (full set)-	20 balls
➢	Volleyball posts	2 sets, 20 Balls

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

742

IndiaCode

- Equipment for cricket, soft ball - 6 balls each
- Table tennis table - 2 sets
- Two pairs of football goal posts with nets- 20 balls
- Two pairs of Hand bal posts, and one dozen balls
- Badminton posts - 4
- 2 dozen hockey sticks and 3 dozen balls
- Badminton rackets - 2 dozen
- Shuttles - As per need

5.2.5.3 *Equipment for indigenous activities*

- Lezium - 50 pair
- Dumbles – 50 pairs
- Indian clubs - 50 pairs
- Flags, hoopla rings, and light apparatus for physical activities
- Demonstration/ display
- Beat board
- Equipment for marshal arts

IndiaCode

5.2.5.4 *Gymnastic Apparatus*

- One parallel bars
- One parallel bar(uneven for girls)
- One horizontal bar
- Two roman rings
- Six climbing ropes
- One dozen mats-coir
- One balance beams (adjustable sets)
- One pommelled horse
- Multigym

Note: The provisions of 5.2.5 will come into effect from the academic session 2007-08.

5.2.6 Cultural activities

Suitable and adequate instruments should be provided as and when needed for various activities

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

743

5.2.7 **Miscellaneous**

Other equipment required for minor games, recreational games, relays combatives.

5.3. Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture for the purpose in required number shall be provided for instructional and other purposes including desks and chairs and tables for students, teachers, hall, staff, office, laboratories, bookshelves, filing cabinet, reading room tables with chairs for laboratory, blackboards, notice boards, bulletin boards, steel almirah, cabinet storage rack etc.

5.3.2. The institution shall provide separate common rooms for male/female staff and students.

5.3.3. Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.4. Sufficient number of toilets, shall be made available to staff and students.

5.3.5 Arrangement shall be made for a canteen, telephone facility and parking of vehicles.

5.3.6. Effective arrangements shall be made for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities, necessary repairs and replenishment of furniture and other equipment.

6.0 General

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory with proportionate addition of books, equipments and instructional space may be shared.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

744

Appendix-3

Norms and Standards for Master of Physical Education Programme (M.P.Ed.)

1.0 Preamble

(a) The Master of Physical Education (M.P.Ed.) programme is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in physical education, and for preparing a professional cadre of physical education teachers at the senior secondary level as well as teacher educators in Colleges of Physical Education and University Departments of Physical Education.

(b) Only University Departments or institutions offering B.P.Ed. programme are eligible to offer M.P.Ed. course.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The M.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years.

2.2 Working Days

There shall be at least 200 working days in each academic year exclusive of period of examination and admission etc., for instruction, field work and internship in a school, a working day being of 6 hours in a 6-day week.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

The intake of students shall not exceed 30 each year. (60 in 2 years)

3.2 Eligibility

Candidates who have obtained at least 55% marks in the B.P.Ed. degree are eligible for admission. There shall however be a relaxation of 5% marks for those who are position holders (1st, 2nd or 3rd) in State Level sports/games and those who have participated in the National level sports/games. **The sub-clause 3.2 will take effect from the academic session 2007-08.**

3.2.3 There shall be relaxation of marks/reservation of seats for SC/ST/OBC and other categories as per the Rules of the concerned State Government.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

745

3.3 **Admission Procedure**

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/University.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.1 Number- for intake of 30 students or less with combined strength of 60 or less for the 2 year course.

Professor/or Reader	-	1
Readers/Lectures	-	4

4.1.2. For an intake of additional number of 10 students , one additional lecturer shall be appointed.

Qualifications

(a) Professor

(i) Ph.D in Physical Education or equivalent published work
(ii) M.P.Ed.
(iii) At least 10 years' experience of teaching Physical Education courses including 5 years' in M.P.Ed. programme.

(b) Readers

(i) PhD in Physical Education or equivalent published work
(ii) M.P.Ed. with at least 55% marks.
(iii) At least 5 years experience of teaching in B.P.Ed./M.P.Ed. programme.

(c) Lecturer :-

(ii) M.P.Ed with minimum 55% marks .
(iii) Ph.D. in Physical Education or NET in Physical Education

Note:-

a. There shall be relaxation of five percentage of marks at the Masters level for SC/ST/OBC/Other categories, as per the rules of the Central Government/ concerned State Government/UT Administration.

b. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/Readers in Physical Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of post-retirement contract service.

43GI/2007—6

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

746

IndiaCode

4.1.3 Technical Support Staff

In addition to the staff required for B.P.Ed. , the following staff will be required.

Number

(i) Technical Assistants - two (Regular)
(ii) Helpers - one (Regular)

Qualifications

As per the norms prescribed by the concerned affiliating University/State Government/UGC.

4.3 Terms and conditions of service :

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committees constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Affiliating University whichever is applicable.

(b) All appointments except those specified as part-time are to be made on full-time and regular basis.

(c) Appointment of Technical & Administrative staff can be made as per norms of the concerned Government/University/UGC.

(d) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/University from time to time by account payee cheque or by Advice into the Bank account of employees opened specially for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government/University.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 There shall be provision for two classrooms to accommodate 30 students each and one multi-purpose hall to accommodate 100 persons, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Professor/Head, faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratory, library etc. spaces shall not be less than 10 sq.ft. per student.

5.1.2. There shall be a multi-purpose hall/gymnasium for indoor sports and facilities for outdoor sports.

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

747

5.1.3. To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession 2.5 acres of land/land and building, free from all encumbrances, either on ownership basis or on lease as per the provisions of the prevalent Regulations.

5.1.4. Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5. The institutional campus, building, furniture etc. should be disabled-friendly.

Note: The existing Institutions that may not be able to provide facilities fully as per sub-clause 5.1.3 may share these facilities with other Institutions or create such facilities at a different but nearby place if there is a paucity of space in the existing Institutions.

5.2. Instructional

5.2.1 The institution must have at least 2.5 acres of land which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games & sports. Built in area consisting of classrooms etc. shall not be less than 12000 sq. ft. This must be ensured even in metropolitan and Hilly Regions where the total land may be less than the required 2.5 acres.

52.2 The size of instructional spaces shall not be less than 10 sq.ft. per student.

5.2.3 There shall be a library with reading room facility and equipped with minimum 2000 titles and reference books related to all specializations and courses, educational encyclopedias, electronic publications (CD Roms) and at least 5 journals, internet connectivity. At least 100 quality books will be added in the library every year. The Library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the used of faculty and students teachers.

5.2.4 There shall be adequate equipments for various indoor and outdoor sports and games.

5.2.5 Laboratories for conducting instructional activities for approved intake of 60 students (two years),

5.2.5.1 There shall be a Health Education, Physiotherapy and Sports Medicine laboratory with the following equipments :

(i) A standard weighing machine
(ii) An anthropometer/height stand
(iii) Desirable weight and height tables.
(iv) Infrared Lamp
(v) Ultraviolet Lamp
(vi) Short wave diathermy
(vii) Motorized tread mill

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

748

(viii) Bicycle Ergometer
(ix) B.P. Apparatus
(x) Harward step test equipment

5.2.5.2. There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational and sports psychology.

5.2.5.3. There shall be Anatomy and Physiology Laboratory with the following equipment.

(iv) Human Skeleton
(v) Metronomes –1
(vi) Models and charts of various body systems
(vii) Stopwatches-5
(viii) Spirometers-2
(ix) Electronic barometer
(x) Weighing machines-2
(xi) Peak flow meter-1
(xii) Goniometer-1
(xiii) Dynamometers (hand, leg back) – 1 each

5.2.5.4. There shall be an Educational Technology and media laboratory with hardware for projection and duplication and educational software required for I.C.T. laboratory including TV, Camera. ROT (Received Only Terminal) , SIT (Satellite Interlinking Terminal) are desirable.

Note: The provisions of 5.2 will come into effect from the academic session 2007-08.

6.3. Amenities

6.3.1 Functional and appropriate furniture for the purpose in required number shall be provided for instructional and other purposes.

6.3.2. The institution shall provide common rooms for female teacher educators/trainees.

6.3.3. Safe drinking water be provided in the institution.

6.3.4. Sufficient number of toilets, separate Male and Female, shall be made available to staff and students.

6.3.5 Arrangement shall be made for a canteen, telephone facility and parking of vehicles.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

749

MediaCode

6.3.6. Effective arrangements shall be made for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities, necessary repairs and replenishment of furniture and other equipment.

7.0 General

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

750